



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:19380

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध अग्रिम ज़मानत आवेदन अंतर्गत धारा 482

बीएनएसएस सं०. - 429 वर्ष 2025

विवेक यादवआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव (गृह), लखनऊ के माध्यम से और एक अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : कृष्ण कुमार विश्वकर्मा, ऋषभ कपूर

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 15

माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है, यद्यपि, नोटिस तामील कर दिया गया है।

इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 08.05.2025 के आदेश द्वारा आवेदक को अंतरिम अग्रिम ज़मानत प्रदान की। दिनांक 08.05.2025 का आदेश नीचे उद्धृत है:-

“1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी पक्ष-राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया। विपक्षी पक्ष संख्या 2 को नोटिस जारी किया जाए।

2. मुकदमा अपराध सं०. 113 वर्ष 2025, धारा 140(2) भा०न्या०सं०, थाना सरोजिनी नगर, जिला लखनऊ के संबंध में पहली अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट के विवरण के अनुसार, मंजूनाथ 21.03.2025 को बेंगलोर से फ्लाइट से लखनऊ पहुंचने के बाद लापता हो गया था। यह कहा गया है कि बाद में मुखबिर के एक मित्र को लखनऊ के बताए गए मोबाइल नंबर से धमकी भरी कॉलें आने लगीं, जिनमें फिरौती मांगी जा रही थी।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि उन पर लगाए गए आरोपों में उन्हें झूठा फंसाया गया है; यह तथ्य इस बात से स्पष्ट है कि न तो अपहृत व्यक्ति जिसे बाद में बरामद कर लिया गया था ने उनका नाम लिया है, और न ही उन्हें घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का नाम केवल सह-आरोपी के कथित स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर नामित किया गया है, जिसमें उसे उस व्यक्ति के रूप में बताया गया है जो बरामदगी के समय भाग गया था। यह निवेदन है कि आवेदक के विरुद्ध विवेचना अभी भी लंबित है, और वह इसमें सहयोग करने का वचन देता है।

5. विद्वान अपर शसकीय अधिवक्ता ने इस तर्क के साथ अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है कि वास्तव में यह आवेदक ही था जो पुलिस द्वारा लापता व्यक्ति को बरामद करने पर मौके से भाग गया था। यद्यपि यह स्वीकार किया जाता है कि विवेचना अभी भी जारी है।

6. विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के अवलोकन से, यह प्रतीत होता है कि आवेदक का नाम न तो प्राथमिकी में है और न ही वह बरामदगी के समय उपस्थित था, और उसका नाम सह-आरोपी के कथित स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर

नामित किया गया है। वह विवेचना के दौरान सहयोग करने का वचन देता है।

7. मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात्, यह न्यायालय इसे अंतरिम अग्रिम जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला पाता है।

8. अभियुक्त विवेक यादव को अंतरिम तौर पर अग्रिम जमानत दी जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय (सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य [एनसीटी ऑफ दिल्ली] - 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98) के आलोक में, आवेदक को धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता/482 बीएनएसएस के अंतर्गत अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान करना उचित होगा।

9. गिरफ्तारी की स्थिति में, आरोपी-आवेदक को उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा; इसके लिए उसे संबंधित गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/विवेचक/पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों पर एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू पेश करने होंगे:-

- (i) कि अभियुक्त-आवेदक, पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए जब भी आवश्यकता होगी, स्वयं को उपलब्ध कराएगा/कराएगी और विवेचना में सहयोग करेगा/करेगी;
- (ii) कि अभियुक्त-आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके; और
- (iii) कि अभियुक्त-आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएगा।

(iv) चूक होने की स्थिति में, जाँच एजेंसी के लिए यह विकल्प रहेगा कि इस अंतरिम संरक्षण को रद्द करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करे।

आवेदक 14.05.2025 को दोपहर 02:00 बजे विवेचक के समक्ष उपस्थित होगा। विद्वान अपर शसकीय अधिवक्ता, विवेचना में आवेदक के सहयोग के संबंध में, अगली सुनवाई की तारीख तक आवश्यक निर्देश प्राप्त करेंगे।

10. इस मामले को 22.05.2025 को तामिला रिपोर्ट के साथ नये सिरे से सूचीबद्ध किया जाए।

11. इस दौरान आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं।”

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दिनांक 08.05.2025 के आदेश के अनुपालन में, आवेदक विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ और उसे अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप-पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। उन्होंने यह निवेदन किया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह विचारण में सहयोग करने का वचन देता है। आवेदक ने इस न्यायालय द्वारा उसे प्रदान की गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है।

राज्य के विद्वान एजीए ने आवेदक के अधिवक्ता की प्रार्थना का विरोध किया।

रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

इन तथ्यों पर उचित विचार करने के बाद कि इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता का आवेदक द्वारा दुरुपयोग नहीं किया गया है, मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है; साथ ही, आवेदक द्वारा मुकदमे में सहयोग करने के लिए दी गई वचनबद्धता, और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; और इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य [एनसीटी ऑफ दिल्ली] और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 मामले में की गई



टिप्पणी के आधार पर, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 08.05.2025 के आदेश के माध्यम से प्रदान की गई अंतरिम सुरक्षा को एतद्वारा स्थायी किया जाता है।

तदनुसार, आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

17 मार्च 2026

विनय/-

(करुणेश सिंह पवार, न्यायाधीश)

Translated Version. Not for Legal Use.